



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 723

//आदेश//

दिनांक 10/7/20

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग की 157वीं सभा दिनांक 04/06/2020 के एजेण्डा क्रमांक (157)-6 में किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 से संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

## New Proposed Courses.

Faculty	Department	Course	Intake
Faculty of Engineering & Technology	Agriculture and food engineering	B. Tech (Agriculture Engineering)	60
		M. Tech (Agriculture Engineering)	30
		Ph. D (Agriculture Engineering)	As per Availability of Seats
	Mining Engineering	B. Tech (Mining Engineering)	60
	Architecture & Planning	B. Arch (Bachelor of Architecture)	60
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences	Rural Engineering	B. Tech (Rural Engineering)	60
	Arts & Design	Bachelor of Fashion Design (B.F.D.)	180
	Humanities and Social Science	B.A. (Plain)	180
	Department of Arts	M.A. (Psychology)	30
		Ph. D (Psychology)	As per Availability of Seats
Journalism and Mass Communication	Masters of Arts (Mass Media & Communication)	30	
	Ph. D (Mass Media & Communication)	As per Availability of Seats	
Faculty of Education	Department of Education	M.A. Education	60
Faculty of Management	Management	M.B.A.	180
		M.B.A. Rural Management	60
		Ph. D (Rural Management)	As per Availability of Seats
		M.B.A. Agri Business Management	60
		Ph. D (Agri Business Management)	As per Availability of Seats
Faculty of Agriculture Science and Technology	Agriculture	M. Sc. Agriculture (Plain)	30
		M. Sc. Agriculture (Horticulture)	30
		M. Sc. Agriculture (Food Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Seed Tech)	30
		M. Sc. Agriculture (Biotech)	30
		M. Sc. Agriculture (Agri extension)	30
		M. Sc. Agriculture (Agri Economics)	30
Ph. D (Agriculture Science and Technology)	As per Availability of Seats		
Faculty of basic and applied Science	Department of Life Science	B.Sc. Plain (Life Science)	60
		B.Sc. Plain (Physical Science)	60
	Department of Physical and applied Science	Bachelor of Animation & Multimedia (B.A.M.)	60
		Bachelor of Graphic Design (B.G.D.)	180

शर्त :-

1. यूजी.सी. एवं संबधित विनियामक परिषदों जैसे एन.सी.टी.ई., ए.आई.सी.टी.ई., काउंसिल फार आर्किटेक्चर से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निरंतर - 2

(2)

मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिबड, भोपाल द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संबंधित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अहर्ताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से एकेडेमिशन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

  
सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक..... 724 ..... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

दिनांक : 10/07/2020

प्रतिलिपि:- 1. कुलसचिव, मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातिबड, भोपाल (म.प्र.)  
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।

  
सचिव